HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12988/2026
CNR: RJHC020798712026 | URN: CRLMB / 24024U / 2026

Malkit Singh S/o Gurdeep Singh, Aged About 29 Years, R/o Dohda, Police Station Kishangarhbas, District Khairthal-Tijara. (At Present In Sub Jail Kishangarhbas).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vikram Yadav
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakad, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

02/09/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना किशनगढ़–बास, जिला–खैरथल–तिजारा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 333/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 319(2), 338, 336(3), 340(2), 112(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66डी सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त पर आक्षेप है कि उसने साईबर–ठगी करने के लिए अपने फोनों में 8824355532 व 6350517401 नंबरों की सिम रखी हुई थी। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त पर उक्त मोबाईल नंबरों के माध्यम से धोखाधड़ी कर 399/–, 2,000/– और 21,063/– रुपये प्राप्त करने का अभियोग है। उनका तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं पुलिसकर्मी द्वारा ही दर्ज करवाई गई है न कि किसी निजी (Private) व्यक्ति द्वारा। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी दिनांक 31.07.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण

के अन्वेषण व अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त ने अन्य लोगों के नाम से फर्जी सिम प्राप्त कर धोखाधड़ी से साईबर ठगी कर राशि प्राप्त की है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध साईबर पोर्टल 1930 पर 3 शिकायतें दर्ज हैं। प्रकरण में अभी अनुसंधान पूर्ण नहीं हुआ है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराधों का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 318(4), 319(2), 338, 336(3), 340(2), 112(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66डी सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम के अपराधों का अभियोग है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध साईबर ठगी कारित करने के आक्षेप हैं। प्रार्थी–अभियुक्त के आधिपत्य से दो मोबाईल फोन प्राप्त हुए हैं, जिसमें अनजान व्यक्तियों के नाम की दो फर्जी सिम भी लगी हुई हैं। अनुसंधान से प्रकट हुआ है कि उक्त मोबाईल फोनों में व्हाटसएप, फेसबुक व इंस्टाग्राम एप से अनजान लोगों को पुराने नोट व सिक्कों को उच्च दामों में खरीदने के फोटो व ऑडियो, लेपटॉप को सस्ते दामों पर डिलीवरी करने के वीडियो व ऑडियो तथा कॉस्मेटिक के सामान को सस्ते दामों पर डिलीवरी करने के वीडियो शेयर किए हुए हैं जिसके माध्यम से प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा अनजान लोगों से धोखाधड़ी कर साईबर ठगी करते हुए राशि प्राप्त करना बताया गया है, मोबाईल फोन में राशि प्राप्त करने संबंधी स्क्रीन शॉट भी पाए गए हैं। प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध साईबर ठगी से संबंधित साईबर पोर्टल 1930 पर कुल 3 शिकायतें दर्ज हैं, जो सस्ता लेपटॉप, कॉस्मेटिक सामान व भारतीय पुराने नोट व सिक्कों को ऊँचे दामों पर खरीदने व बेचने एवं 23,462/– रुपये से संबंधित हैं।

वर्तमान् में ऑनलाईन ठगी के अपराधों में निरन्तर वृद्धि हो रही है तथा इन अपराधों में लिप्त अभियुक्तगण एक–दूसरे के सम्पर्क व सहयोग में होते हैं और अपराध में सभी अभियुक्तगण की अपनी–अपनी सक्रिय भूमिका होती है, जो अपने कृत्य द्वारा अपराध को सुगम (facilitate) बनाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार सभी

अभियुक्तगण संगठित आपराधिक गिरोह के रूप में कार्य करते हैं और अनजान लोगों से ठगी कर राशि प्राप्त करते हैं।

प्रकरण में अभी अनुसंधान पूर्ण नहीं हुआ है। उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रम पर प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

66/NIMIT GOYAL